

सुप्रीम कोर्ट नें बदला 2 बच्चों का नियम !

और अधिक होने चाहिए बच्चे

BY - SUNIL VERMA SIR

ABP News

2 से ज्यादा बच्चे होने पर सख्ती को SC ने बताया अप्रासंगिक, आबादी कम नहीं हो रही, लेकिन...



सुप्रीम कोर्ट ने दो से ज्यादा बच्चे होने पर दंड देने वाले कानूनों को...

1 day ago

Live Law Hindi

BREAKING| भारत में घटती प्रजनन दर के कारण 2 से अधिक बच्चे होने पर सजा वाले कानूनों की प्रासंगिकता खत्म हो ...



सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के...

1 day ago

NewsBytes

घटती प्रजनन दर: सुप्रीम कोर्ट ने '2 बच्चों' के नियम पर फिर उठाया सवाल, क्या खत्म होगा कानून?



सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि 2 से अधिक बच्चे होने पर दंडित करने...

1 day ago

The Indian Express

Two-child norm has lost relevance: Supreme Court refers issue to larger bench



The Supreme Court Wednesday referred the constitutional validity of laws barring people with more than two children from contesting local...

1 day ago

Deccan Chronicle

Laws That Penalise Having More Than 2 Children Have Lost Relevance: SC



The Supreme Court said laws that penalise having more than two children have lost their relevance as the fear of overpopulation has crumbled...

23 hours ago

Live Law

LiveLaw Daily | 2-Child Rule, Deleted Voters, SC/ST Quota, Khan Sir & Child Labour



Had a long day in court? Or taking a quick break from entrance exam prep? Catch LiveLaw Daily for a quick, no-fuss roundup of the day's...

20 hours ago

Business Standard

Laws penalising having more than 2 children have lost relevance: SC



Supreme Court referred the validity of a two-child disqualification provision under Maharashtra law to a larger bench, saying such laws...

1 day ago



- **4 नवंबर को आए फैसले** में अदालत ने साफ कहा है कि दो से अधिक बच्चे होने पर लोगों को दंड़ित करने वाले कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। यह टिप्पणी केवल किसी एक राज्य के पंचायत चुनाव या किसी एक महिला की चुनावी पात्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के बदलते जनसांख्यिकीय भविष्य की तरफ एक बड़ा संकेत है।

जनसंख्या का आंकड़ा बड़ा, लेकिन परिवार छोटे हो रहे हैं



- **भारत की कुल आबादी अभी भी बढ़ रही है**, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय परिवारों में बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। देश की आबादी में वृद्धि का एक बड़ा कारण **Demographic Momentum** है। यानी पहले के दशकों में पैदा हुई बड़ी आबादी अब युवा और प्रजनन योग्य आयु में है। इसलिए प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या घटने के बावजूद कुल जन्म और आबादी में वृद्धि जारी रह सकती है। यही वह तथ्य है जिसे जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करने वाली बहस अक्सर नजरअंदाज कर देती है।



- **सुप्रीम कोर्ट के फैसले** में 1971 से 2024 के बीच प्रजनन दर में आई गिरावट का भी उल्लेख है। इस अवधि में **TFR 5.2** से घटकर **1.9** हो गई। **NFHS-5** के आंकड़ों में भी **2019-21** के दौरान यह दर **2.0** दर्ज की गई थी। अदालत ने 2024 के लिए **NFHS-6** के आंकड़ों का हवाला देते हुए लगभग **2.0** का उल्लेख किया है। यानी भारत में छोटा परिवार अब केवल सरकारी नारा नहीं, बल्कि सामाजिक वास्तविकता बन चुका है।

दो बच्चे की नीति से आगे बढ़ चुकी है भारत की तस्वीर

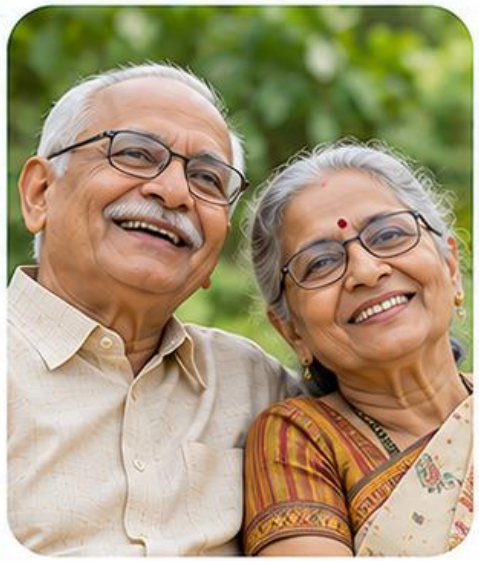


- **सुप्रीम कोर्ट** ने **अपने फैसले** में एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू उठाया है। दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने का कानून केवल जनसंख्या नियंत्रण का मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और महिलाओं के अधिकारों से भी जुड़ा है। महाराष्ट्र की मंगला भीमराव इंगले को तीसरी संतान होने के कारण सरपंच पद के लिए अयोग्य ठहराया गया था। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की सार्वजनिक पद संभालने की योग्यता का उसके बच्चों की संख्या से सीधा संबंध नहीं है। ऐसे प्रतिबंध महिलाओं को प्रजनन संबंधी फैसले और लोकतांत्रिक भागीदारी के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर करते हैं।

भारत के सामने अब बढ़ती आबादी नहीं, बूढ़ी होती आबादी की चुनौती



- इस फैसले का सबसे गंभीर पहलू देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना से जुड़ा है। **सुप्रीम कोर्ट** ने **जापान** और **चीन** के उदाहरणों का उल्लेख करते हुए बताया कि कम प्रजनन दर के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। चीन ने पहले एक बच्चे की नीति अपनाई, लेकिन बाद में दो और फिर तीन बच्चों की अनुमति देनी पड़ी। इसके बावजूद वहां जन्म दर में अपेक्षित उछाल नहीं आया। भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी है।



- अदालत के मुताबिक देश में **60 वर्ष से अधिक** उम्र के लोगों की हिस्सेदारी **2014** के **8.3 प्रतिशत** से बढ़कर **2024** में **9.7 प्रतिशत** हो गई है और **2036** तक इसके करीब **15 प्रतिशत** पहुंचने का अनुमान है। इससे कामकाजी आबादी का अनुपात घटने, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च बढ़ने का खतरा है।

2014	→	2024	→	2036 (अनुमान)
8.3%		9.7%		15%



यह मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुँचा? (Context / संदर्भ)



- **चुनावी अयोग्यता का विवाद:** यह कानूनी विवाद महाराष्ट्र की एक स्थानीय निकाय की नेता **मंगला भीमराव इंगले** से जुड़ा है। उन्हें तीसरी संतान होने के कारण महाराष्ट्र के स्थानीय कानूनों के तहत सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।



- **दो बच्चों की नीति पर सवाल:** इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य मुद्दा यह था कि क्ता स्थानीय निकाय (पंचायत/निकाल) चुनाव लड़ने के लिए **'दो बच्चों की सीमा'** का नियम संवैधानिक रूप से उचित है या नहीं। याचिका में इस बात को चुनौती दी गई थी कि बच्चों की संख्या के आधार पर किसी को चुनाव लड़ने से रोकना नागरिकों के **लोकतांत्रिक अधिकारों** और **प्रजनन अधिकारों (Reproductive Autonomy)** का हनन है।

इस मामले की पुष्ठभूमि क्या है? (Background)



- **प्रजनन दर (TFR) में भारी गिरावट:** अतीत में जब जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाए गए थे, तब देश में कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR) काफ़ी अधिक थी (जैसे **1971** में यह लगथग **5.2** थी)। उस समय सरकार और कानून निर्माताओं का मानना था कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कड़ कदम उठाने की जरूरत है।



- **प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level) से नीचे आना:** जनसंख्या स्थिर रहने के लिए 'प्रतिस्थापन स्तर' (Replacement Level) **2.1** माना जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि भारत की कुल प्रजनन दर घटकर अब **1.9** (यानी 2.0 से भी नीचे) पर आ चुकी है। यानी भारत अब उस सीमा से नीचे आ चुका है जहां एक पीढ़ी अपनी आबादी को स्वत: बनाए रख सके।



- **कानूनों की प्रासंगिकता पर पुनर्विचार:** चूंकि देश में अब जनसंख्या विस्फोट के बजाय आबादी के बूढ़े होने (Aging Population) की चिंताएं बढ़ने लगी हैं और परिवार का छोटा होना एक सामाजिक हकीकत बन चुका है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब अधिक बच्चों पर रोक लगाने वाले पुराने कानूनों और प्रतिबंधों का आधार कमजोर पड़ चुका है।

देश के सामने नई चिंता क्या उभरी है? (बढ़ती उम्र और बू होती आबादी)



- **युवा आबादी का घटना और बुजुर्गो का बढ़ना:** चीन और जापान की तरह भारत की आबादी भी अब तेजी से बूढ़ी हो रही है। यदि प्रजनन दर इसी तरह कम बनी रही, तो भविष्य में कामकाजी लोगों (Workforce) की संख्या घटेगी और बुजुर्गो की देखरेख व स्वास्थ्य सेवाओं का भारी संकट खड़ा हो सकता है।



- **दंडात्मक नीतियों की असंगति:** अदालत ने माना कि जब देश में कुल प्रजनन दर पहले ही आवश्यक स्तर (2.1) से नीचे गिर चुकी है, ऐसे में केवल तीसरी संतान होने पर जनप्रतिनिधि या सरपंच बनने से रोकना न केवल तार्किक रूप से प्रासंगिकता खो चुका है, बल्कि यह महिलाओं को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच चयन करने के लिए मजबूर करता है।

भारत की कुल जनसंख्या और आयु वर्ग (Age-Wise Demographics)





- भारत की वर्तमान अनुमानित कुल जनसंख्या लगभग **144 से 146 करोड़ (1.44–1.46 अरब)** है।
- भारत सरकार के **राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (NCP)** और **Sample Registration System (SRS)** की रिपोर्ट के अनुसार आयु वर्ग के अनुसार आबादी का बंटवारा इस प्रकार है:

आयु वर्ग (Age Group)	जनसंख्या में हिस्सेदारी (%)	कुल अनुमानित संख्या (लगभग)	विवरण
0 से 14 वर्ष (बच्चे)	~24.2%	~35.0 करोड़	इस वर्ग का अनुपात लगातार घट रहा है (बच्चों के जन्म में कमी)।
15 से 49 / 59 वर्ष (कार्यशील / युवा व वयस्क)	~65.5%	~95.0 करोड़	इसमें 15 से 49 वर्ष (प्रजनन एवं युवा/वयस्क आयु) के लोग लगभग 56-58% हैं।
60 वर्ष और उससे अधिक (बुजुर्ग)	~10.3%	~15.0 करोड़	स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है।

कुल प्रजनन दर (TFR - Total Fertility Rate)



- **टीएफआर (TFR)** का मतलब है कि एक महिला अपने संपूर्ण प्रजनन काल (15-49 वर्ष) में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है।
- **राष्ट्रीय औसत:** भारत का राष्ट्रीय TFR घटकर **1.9** रह गया है (जो कि रिप्लेसमेट लेवल **2.1** से भी कम है)।



उच्च TFR वाले प्रमुख राज्य
(जहाँ आबादी तेजी से बढ़ रही है)

बिहार	~2.9
उत्तर प्रदेश	~2.6
मध्य प्रदेश	~2.4
झारखंड	~2.3
राजस्थान	~2.2

कम TFR वाले प्रमुख राज्य
(जहाँ आबादी स्थिर या घटने की ओर है)

दिल्ली	~1.2
केरल	~1.3
तमिलनाडु	~1.3
पश्चिम बंगाल	~1.4
महाराष्ट्र / कर्नाटक / आंध्र प्रदेश	~1.5 - 1.6

प्रमुख राज्यों की अनुमानित जनसंख्या आंकड़े
(State-wise Population Estimates)



राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	अनुमानित जनसंख्या (2025-2026)
उत्तर प्रदेश	~24.0 करोड़
महाराष्ट्र	~12.8 करोड़
बिहार	~12.9 करोड़
पश्चिम बंगाल	~10.0 करोड़
मध्य प्रदेश	~8.7 करोड़
तमिलनाडु	~7.7 करोड़
राजस्थान	~8.2 करोड़
कर्नाटक	~6.8 करोड़
गुजरात	~7.1 करोड़

प्रमुख राज्यों की अनुमानित जनसंख्या आंकड़े
(State-wise Population Estimates)



राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	अनुमानित जनसंख्या (2025-2026)
उत्तर प्रदेश	~24.0 करोड़
महाराष्ट्र	~12.8 करोड़
बिहार	~12.9 करोड़
पश्चिम बंगाल	~10.0 करोड़
मध्य प्रदेश	~8.7 करोड़
तमिलनाडु	~7.7 करोड़
राजस्थान	~8.2 करोड़
कर्नाटक	~6.8 करोड़
गुजरात	~7.1 करोड़



वर्तमान में नियम लागू रखने वाले राज्य (5 राज्य)

- इन राज्यों में दो से अधिक जीवित संतानें होने पर उम्मीदवार को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए **अयोग्य (Disqualified)** माना जाता है:

- महाराष्ट्र
- गुजरात
- असम
- ओडिशा
- उत्तराखंड

नियम लागू करने के बाद वापस लेने वाले राज्य (7 राज्य)

- भारत के 7 राज्यों ने पहले इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया था, लेकिन बाद में इसे **निरस्त (Repeal)** या समाप्त कर दिया:

- **राजस्थान:** राजस्थान सरकार (भजनलाल शर्मा कैबिनेट) ने साल 2026 में ही पंचायती राज और नगरपाखिक अधिनियम में संशोधन कर इस 2-संतान वाले नियम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।
- **तेलंगाना:** तेलंगाना विधानसभा ने जनवरी 2026 में ही विधेयक पास कर स्थानीय निकाय चुनावों से इस पाबंदी को हटा दिया है।

- आंध्र प्रदेश
- मध्य प्रदेश
- हरियाणा
- छत्तीसगढ़
- हिमाचल प्रदेश



Thanks For Watching

Learn
Share
Grow
Together ♡

Better
Students
Brighter
Tomorrow

Follow us for more Updates

@RRESULTMITRAOFFICIAL

Join our Telegram

@SUNILVERMA_THEIASMENTOR

Follow on Instagram

Result Mitra

Subscribe Now

Stay Connected



